

ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत जारी.



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला गोंडा
तहसील मनकापुर
आवेदन क्र० 15530030010983
प्रमाणपत्र क्र० 530431501754

जारी दिनांक: 16/06/2015

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार चौहान पुत्र/पुत्री श्री मोतीलाल चौहान माता का नाम श्रीमती सोनपता निवासी 79, हरनाटायर ग्राम हरनाटायर तहसील मनकापुर जिला गोंडा



उत्तर प्रदेश राज्य की लोनिया जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय कुमार चौहान पूर्वोक्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की अनुसूची 2 (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2002 एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनांक 20 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम 1947 में तथा विहिप इट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।



जारी कर्ता केन्द्र:
पद:
स्थान :
दिनांक:
हस्ताक्षर एवं मूहर

159 अक्टूबर 2015
विनीय कुमार सिंघ, केन्द्र, गोंडा
195 मीरतार, मनकापुर, गोंडा, Gonda

Vinay Kumar Gupta
Digitally Signed by Vinay Kumar Gupta G=Govt of Uttar Pradesh, OU=Revenue, C=IN, CN=Vinay Kumar Gupta, O=Uttar Pradesh

सकाम अधिकारी/तहसीलदार
डिजिटल हस्ताक्षरित
मनकापुर, गोंडा
दिनांक: 16/06/2015

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट <http://edistrict.up.nic.in> पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।